



सां : 5-1(17)/2008-पी०डी०

दिनांक : 21.03.2018

प्रेषक :

संयुक्त सचिव (प्रशासन)

सेवा में :

सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान

महोदय / महोदया,

मुझे भारत सरकार द्वारा जारी किये गए निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापन को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

क्रम सं.	कार्यालय ज्ञापन सं.	विषय
1.	भारत सरकार, गृह मंत्रालय, का० ज्ञा० सं 14013/ 01/ 2018 - रा.भा.(नीति) दिनांक 16.01.2018	भारत सरकार के नियंत्रणाधीन सरकारी या अर्द्धसरकारी सभी कंपनियों/ संगठन/ संस्थान के उत्पादों के नाम लेखन के संबंध में।

भवदीय

निनीत कुमार
24/3/18

(विनोद कुमार)

अवर सचिव (नीति प्रभाग)

संलग्न : यथोपरि

प्रतिलिपि :

- आई.टी. प्रभाग प्रमुख वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ।
- कार्यालय प्रति।

14013/01/2018-रा.भा.(नीति)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

चौथा तल, एन.डी.सी.सी-2 भवन
जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 01
दिनांक : 16 जनवरी, 2018

कार्यालय जापन

विषय : भारत सरकार के नियंत्रणाधीन सरकारी या अर्द्धसरकारी सभी कंपनियों/ संगठन/ संस्थान के उत्पादों के नाम लेखन के संबंध में।

कृपया राजभाषा विभाग द्वारा जारी संकल्प सं 20012/01/2017-रा.भा.(नीति) दिनांक 31.03.2017 की संस्तुति सं 114 पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश का अवलोकन करें जो निम्नलिखित है -

संस्तुति	राष्ट्रपति जी का आदेश
सभी कम्पनियों के उत्पादों पर हिंदी में विवरण दिये जाये और उनके नाम देवनागरी में भी लिखा जाए।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की गई है कि सरकारी या अर्द्धसरकारी सभी कंपनियों/ संगठन/ संस्थान इसका पालन करें।

2. उक्त के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है की भारत सरकार के अंतर्गत सरकारी या अर्द्धसरकारी सभी कंपनियों/ संगठन/ संस्थान द्वारा बनाए गए उत्पादों जो भारतीय बाज़ार में बेचे जाते हों तथा निर्यात किए जाते हों पर हिंदी में विवरण दिये जायें और उनके नाम देवनागरी में भी लिखे जायें।


(डॉ० श्रीप्रकाश शुक्ल)
संयुक्त निदेशक (नीति)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन)

कृपया संबंधित विभागों में
प्रचारित कर दें
रजि. अ. वि. प्र.
30/1/18
30/1/18
सुप्रीम